न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी –श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, R.A.S

राजस्व अपील संख्या 03/2022

अपीलाण्ट	बनाम	उतरदातागण
तुलसाराम पुत्र गुणेशाराम जाति राईका निवासी गादेसरा हाल बिठुजा तहसील पचपदरा		1. जमनादेवी पत्नी मदनलाल जाति सोर्न निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी 2. मेघाराम उर्फ मेघराज पुत्र गुणेशाराम 3. सरीयादेवी पत्नी गुणेशाराम 4. गोरखाराम पुत्र हुकमाराम 5. वीराराम पुत्र पूनमाराम 6.ताजाराम पुत्र रूपाराम जातियान देवासी निवासीयान गादेसरा तहसील सिणधरी 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक सिणधरी 8. सरपंच, ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा 9. हल्का पटवारी, सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरणकरण सं. 343 दिनांक 20.06.2008 जो ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थित :–श्री गणपतदान चारण अधिवक्ता अपीलांट की और से

श्री चम्पालाल प्रजापत, अधिवक्ता सेस्पोडेंट सं. 2 से 6 की ओर से।

रेस्पोडेंड सं. 7 व 9 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक : 28.01.2026

1. संक्षेप में यह अपील है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम गादेसरा के खेत खसरा नंबर 55 रकबा 15.0959 हैक्टेयर यानि 93 बीघा आयी हुई है जो अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 2 से 7 की पैतृक भूमि है जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 2 से 7 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जो स्वर्गीय भगाराम से प्राप्त हुई थी, मगर वक्त सेटलमेंट के दौरान ही भगारामजी का स्वर्गवास हो जाने से उसके तीनो पुत्रो के नाम भूमि दर्ज हुई थी। उक्त वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय भगारामजी से अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 को पैतृक संपति के रुप में प्राप्त हुई। स्वर्गीय भगारामजी के तीन पुत्र थे जिसमे उदाराम, भारमल व जगनाराम थे। स्वर्गीय जगनाराम का देहांत वक्त सेटलमेंट पूर्व हो चुका था इसलिये वक्त सेटलमेंट उक्त वादग्रस्त भूमि जमाबंदी मे उदाराम, भारमल का 2/3 हिस्सा व स्वर्गीय जगना के वारिसान हुकमा, प्रभु व पूनमा का 1/3 हिस्सा था जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई। स्वर्गीय पूनमा की फौतगी म्युटेशन 20 के जरिये पूनमा की जगह वीरीया का नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि मे संवत 2074 स्वर्गीय उदाराम के देहांत पूर्व ही उसके पुत्र रूपाराम का देहांत हो चुका था इसलिये फौतगी म्युटेशन अनुसार ताजाराम पुत्र रूपाराम का नाम दर्ज हुआ मगर भारमल जिनके तीन पुत्रीयां संतान थी मगर फिर भी उन्होने दिनांक 22.02.1975 को अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्सीसनामा अपने भाईयों के पुत्रो गोरखा पुत्र हुकमाराम व गणेश पुत्र प्रभु के पक्ष में कर दी। बख्सीसनामा करने से पूर्व स्वर्गीय उदाराम का हिस्सा 1ध्3 उसके वारिसान ताजाराम पुत्र रूपाराम को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ यानि 31 बीघा भूमि तथा स्वर्गीय जगना के हिस्सा 1/3 में उसके वारिसान हुकमा, प्रभु व पूनमा 1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ यानि 10.6 बीघा प्रत्येक को मिली तथा स्वर्गीय जगना के पुत्र पूनमा का हिस्सा उसकी फौतगी बाद पुनमा के वारिसान वीरीया को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा स्वर्गीय जगना के पुत्र प्रभु के वारिसान गुणेशा, बीजाराम, सरदाराराम व बेसरा को प्रभुजी के 1/9 हिस्से मे से प्रत्येक को 1/36–1/36 हिस्सा यानि 23 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा प्रभु के पुत्र गुणेशा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान तुलछाराम, मेघाराम व सदीयादेवी को गुणेशा के 1/36 हिस्सा में से प्रत्येक को 1/108–1/108 हिस्सा यानि 14 विस्वा भूमि प्राप्त हुई तथा स्व. भारमल द्वारा अपना 1/3 हिस्से को अपने भाईयों के पुत्रो गोरखा पुत्र हुकमा व गुणेशा पुत्र प्रभु को देने से स्व. भारमल के हिस्सा मे से गोरखा पुत्र हुकमा को 1/6 व गुणेशा पुत्र प्रभु को 1/6 हिस्सा यानि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

भारमल के हिस्से की भूमि 31 बीघा में से प्रत्येक 15.10 बीघा भूमि प्राप्त हुई। उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार स्वर्गीय प्रभुजी पुत्र जगना के हिस्सा 1/9 से गुणेशा पुत्र प्रभुजी को 1/16 हिस्सा यानि 2.3 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा भारमल द्वारा गुणेशा पुत्र प्रभुजी व गोरखा पुत्र हुकमा को बराबर हिस्सा बख्सीस करने से गुणेशा पुत्र प्रभुजी को 1/6 हिस्सा यानि 15.10 बीघा भूमि प्राप्त हुई, जिस अनुसार वादग्रस्त खसरे की भूमि में गुणेशा को कुल 15.10 बीघा प्राप्त हुई। स्वर्गीय गुणेशाजी के देहांत के बाद स्वर्गीय गुणेशाजी के प्रभु पुत्र जगनाजी के हिस्से से 1/36 यानि 23 बीघा भूमि मे बाद उनके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मगाराम व सरीयादेवी के नाम दर्ज हुई जिस अनुसार प्रभु पुत्र जगना के हिस्से में से गुणेशाजी के हिस्से मे उसके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मगाराम व सरीयादेवी प्रत्येक को 1/108–1/108 हिस्सा प्राप्त हुआ, जिस अनुसार अपीलांट को 1/108 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा भारमलजी के बख्सीसनामा से गुणेशाजी के 1/6 हिस्से में उसके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मैगाराम व सरीयादेवी को 1/18–1/18 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त हुआ, जिस अनुसार अपीलांट को 1/18 हिस्सा और प्राप्त हुआ, जिस पर वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 प्रत्येक को जगना की वंशावली अनुसार 1/108 व भारमल के हिस्से अनुसार 1/18 हिस्सा प्राप्त हुआ, उक्त हिस्से अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त है। यह कि अपीलांट व वक्त बेचान सह खातेदार बेसराराम, सरदाराराम व बीजाराम ने वक्त जरूरत अनुसार दिनांक 19.03.2008 को वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि मे जगनाजी के हिस्से मे से प्राप्त हिस्सा 1/108 का तथा बीजाराम, सरदाराराम, बेसराराम जगना के हिस्से मे प्रत्येक का प्राप्त हिस्सा 1/36 का बेचान कर दिया जो निम्न प्रकार था अपीलांट का 1/108 व शेष तीनो का 1/108+1/36+1/36+1/36 = 10/108 हिस्सा बेचान किया जो रजिस्ट्री में दर्ज है। मगर रेस्पोडेंट नंबर 1 ने अपने नाम म्युटेशन भरवाते वक्त तत्कालीन हल्का पटवारी रेस्पोडेंट नंबर 10 व तत्कालीन सरपंच सिणधरी चौसीरा रेस्पोडेंट सं. 9 से मिलकर उन्हे गलत तथ्य बताकर जगनाजी के वंशावली से प्राप्त अपीलांट का हिस्सा 1/108 के

ड अधिकारी
सिणधरी

बेचान की आड मे अपीलांट के भारमल से प्राप्त हिस्सा 1/18 का बेचान नहीं किया था मगर उक्त बेचान के म्युटेशन सं. 243 दिनांक 20.06.2008 की बगेर जांच किये अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे सम्पूर्ण हिस्सा बेचान बताकर रेस्पोडेंट स. 1 जमनादेवी के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि अपीलांट का कभी भी अपने भारमल से प्राप्त हिस्सा 1/18 का बेचान किया, न ही उसके उक्त हिस्से बेचान बाबत बेचाननामा मे दर्ज है। राजस्व ग्राम गादेसरा के खेत खसरा नंबर 55 रकबा 15. 0959 हैक्टेयर में म्युटेशन सं. 243 दिनांक 20.06.2008 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व हल्का पटवारी द्वारा पारित प्रस्ताव के सबंध में अपीलांट को दिनांक 02.08.2022 को जानकारी होने पर जमनादेवी के घर जाकर उक्त म्युटेशन बेचाननामा के अधिक जमीन का भरवाने बाबत जानकारी दी तथ तहसील साथ चलकर शुद्ध करवाने हेतु निवेदन किया तो रेस्पोडेंटः सं. 1 ने साथ चलने व म्युटेशन शुद्ध करवाने से इंकार किया जिस पर वाद हेतुक दिनांक 02.08.2022 को बमुकाम गादेसरा तहसील सिणधरी मे उत्पन्न हुआ जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अन्दर म्याद स्वीकार कि जाकर रेस्पोडेंट सं. 1 व 8, 9 ने मिलकर अपीलांट की पैतृक संपति सरहद मौजा गादेसरा के खसरा नंबर 55 रकबा 15.0953 हैक्टेयर मे अपीलांट के द्वारा बेचाननामा मे बेचान की गयी भूमि में हिस्सा 10/108 से अधिक बेचान बताकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन सं. 243 दिनांक 20.06.2008 पारित प्रस्ताव को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट की शेष खसरा की खातेदारी भूमि में अपीलांट का 1/18 हिस्सा दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन रेस्पोडेंटस की तलबी की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1 व 8 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंटस सं. 2 से 6 की ओर से वकील श्री चम्पालाल प्रजापत द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलांट की पैतृक संपति सरहद मौजा गादेसरा के खसरा नंबर 55 रकबा 15.0959 हैक्टेयर मे अपीलांट के द्वारा बेचाननामा मे बेचान की गयी भूमि मे हिस्सा 10/108 से अधिक बेचान बताकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व हल्का पटवारी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

म्युटेशन सं. 243दिनांक 20.06.2008 पारित प्रस्ताव को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट की शेष खसरा की खातेदारी भूमि मे अपीलांट का 1/18 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हम रेस्पोडेंट सं. 2 ता 6 को किसी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं है।

3. हमनें वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिए कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम गादेसरा के खेत खसरा नंबर 55 रकबा 15.0959 हैक्टेयर यानि 93 बीघा आयी हुई है जो अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 2 से 7 की पैतृक भूमि है जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सं. 2 से 7 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि जो स्वर्गीय भगाराम से प्राप्त हुई थी, मगर वक्त सेटलमेंट के दौरान ही भगारामजी का स्वर्गवास हो जाने से उसके तीनो पुत्रो के नाम भूमि दर्ज हुई थी। उक्त वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय भगारामजी से अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 को पैतृक संपति के रुप में प्राप्त हुई। स्वर्गीय भगारामजी के तीन पुत्र थे जिसमे उदाराम, भारमल व जगनाराम थे। स्वर्गीय जगनाराम का देहांत वक्त सेटलमेंट पूर्व हो चुका था इसलिये वक्त सेटलमेंट उक्त वादग्रस्त भूमि जमाबंदी मे उदाराम, भारमल का 2/3 हिस्सा व स्वर्गीय जगना के वारिसान हुकमा, प्रभु व पूनमा का 1/3 हिस्सा था जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई। स्वर्गीय पूनमा की फौतगी म्युटेशन 20 के जरिये पूनमा की जगह वीरीया का नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि मे संवत 2074 स्वर्गीय उदाराम के देहांत पूर्व ही उसके पुत्र रूपाराम का देहांत हो चुका था इसलिये फौतगी म्युटेशन अनुसार ताजाराम पुत्र रूपाराम का नाम दर्ज हुआ मगर भारमल जिनके तीन पुत्रीयां संतान थी मगर फिर भी उन्होने दिनांक 22.02.1975 को अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्सीसनामा अपने भाईयों के पुत्रो गोरखा पुत्र हुकमाराम व गणेश पुत्र प्रभु के पक्ष में कर दी। बख्सीसनामा करने से पूर्व स्वर्गीय उदाराम का हिस्सा 1६3 उसके वारिसान ताजाराम पुत्र रूपाराम को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ यानि 31 बीघा भूमि तथा स्वर्गीय जगना के हिस्सा 1/3 में उसके वारिसान हुकमा, प्रभु व पूनमा 1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ यानि 10.6 बीघा प्रत्येक को मिली तथा स्वर्गीय जगना के पुत्र पूनमा का

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हिस्सा उसकी फौतगी बाद पुनमा के वारिसान वीरीया को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा स्वर्गीय जगना के पुत्र प्रभु के वारिसान गुणेशा, बीजाराम, सरदाराराम व बेसरा को प्रभुजी के 1/9 हिस्से मे से प्रत्येक को 1/36–1/36 हिस्सा यानि 2.03 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा प्रभु के पुत्र गुणेशा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान तुलछाराम, मेघाराम व सदीयादेवी को गुणेशा के 1/36 हिस्सा में से प्रत्येक को 1/108–1/108 हिस्सा यानि 14 विस्वा भूमि प्राप्त हुई तथा स्व. भारमल द्वारा अपना 1/3 हिस्से को अपने भाईयों के पुत्रो गोरखा पुत्र हुकमा व गुणेशा पुत्र प्रभु को देने से स्व. भारमल के हिस्सा मे से गोरखा पुत्र हुकमा को 1/6 व गुणेशा पुत्र प्रभु को 1/6 हिस्सा यानि भारमल के हिस्से की भूमि 31 बीघा में से प्रत्येक 15.10 बीघा भूमि प्राप्त हुई। उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार स्वर्गीय प्रभुजी पुत्र जगना के हिस्सा 1/9 से गुणेशा पुत्र प्रभुजी को 1/16 हिस्सा यानि 2.3 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा भारमल द्वारा गुणेशा पुत्र प्रभुजी व गोरखा पुत्र हुकमा को बराबर हिस्सा बख्सीस करने से गुणेशा पुत्र प्रभुजी को 1/6 हिस्सा यानि 15.10 बीघा भूमि प्राप्त हुई, जिस अनुसार वादग्रस्त खसरे की भूमि में गुणेशा को कुल 15.10 बीघा प्राप्त हुई। स्वर्गीय गुणेशाजी के देहांत के बाद स्वर्गीय गुणेशाजी के प्रभु पुत्र जगनाजी के हिस्से से 1/36 यानि 2.03 बीघा भूमि मे बाद उनके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मगाराम व सरीयादेवी के नाम दर्ज हुई जिस अनुसार प्रभु पुत्र जगना के हिस्से में से गुणेशाजी के हिस्से मे उसके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मगाराम व सरीयादेवी प्रत्येक को 1/108–1/108 हिस्सा प्राप्त हुआ, जिस अनुसार अपीलांट को 1/108 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा भारमलजी के बख्सीसनामा से गुणेशाजी के 1/6 हिस्से में उसके वारिसान तुलसाराम, मेघाराम उर्फ मैगाराम व सरीयादेवी को 1/18–1/18 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त हुआ, जिस अनुसार अपीलांट को 1/18 हिस्सा और प्राप्त हुआ, जिस पर वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 प्रत्येक को जगना की वंशावली अनुसार 1/108 व भारमल के हिस्से अनुसार 1/18 हिस्सा प्राप्त हुआ, उक्त हिस्से अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त है। यह कि अपीलांट व वक्त बेचान सह खातेदार बेसराराम, सरदाराराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

व बीजाराम ने वक्त जरूरत अनुसार दिनांक 19.03.2008 को वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि मे जगनाजी के हिस्से मे से प्राप्त हिस्सा 1/108 का तथा बीजाराम, सरदाराराम, बेसराराम जगना के हिस्से मे प्रत्येक का प्राप्त हिस्सा 1/36 का बेचान कर दिया जो निम्न प्रकार था अपीलांट का 1/108 व शेष चारों का 1/108+ 1/36+1/36+1/36 = 10/108 हिस्सा बेचान किया जो रजिस्ट्री में दर्ज है। मगर रेस्पोडेंट नंबर 1 ने अपने नाम म्युटेशन भरवाते वक्त तत्कालीन हल्का पटवारी रेस्पोडेंट नंबर 10 व तत्कालीन सरपंच सिणधरी चौसीरा रेस्पोडेंट सं. 9 से मिलकर उन्हे गलत तथ्य बताकर जगनाजी के वंशावली से प्राप्त अपीलांट का हिस्सा 1/108 के बेचान की आड मे अपीलांट के भारमल से प्राप्त हिस्सा 1/18 का बेचान नहीं किया था मगर उक्त बेचान के म्युटेशन सं. 243 दिनांक 20.06.2008 की बगेर जांच किये अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे सम्पूर्ण हिस्सा बेचान बताकर रेस्पोडेंट स. 1 जमनादेवी के नाम दर्ज कर दी गयी। अतः अपील अपीलांट अन्दर म्याद स्वीकार कि जाकर रेस्पोडेंट सं. 1 व 8, 9 ने मिलकर अपीलांट की पैतृक संपति सरहद मौजा गादेसरा के खसरा नंबर 55 रकबा 15.0953 हैक्टेयर मे अपीलांट के द्वारा बेचाननामा मे बेचान की गयी भूमि में हिस्सा 10/108 से अधिक बेचान बताकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन सं. 243(343) दिनांक 20.06.2008 पारित प्रस्ताव को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट की शेष खसरा की खातेदारी भूमि में अपीलांट का 1/18 हिस्सा दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

4. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और उस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज व अपीलाधीन भूमि का विवादित नामान्तरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। रेस्पोंडेंट सं. 1 के पक्ष में किये गये बैचान ग्राम गादेसरा के खेत खसरा संख्या 55 रकबा 15.0959 हिस्सा 10/108 पर पारिसत ना.क.सं. 343 दिनांक 20.06.2008 के जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा द्वारा पारित आदेश में अपीलांट तुलछाराम के जरिये बैचान रकबे से अधिक का हिस्सा कम कर दिया है, जो कि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अपीलांट को भारमल से जरिये बक्शीस के प्राप्त हुआ के हिस्से का ना.क.सं. में सम्मिलित करते हुए पारित कर दिया गया है।

5. लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी के नामान्तरणकरण सं. 243(343) पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा के आदेश दिनांक 20.06.2008 को अपास्त किया जाता है, और प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण 135(2) आरएलआर एक्ट में दर्ज कर अपीलाधीन भूमि के बैचान एवं उस पारित ना.क.सं. के संबंध में समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन कर उनका विधि के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नामान्तकरण पारित करने की कार्यवाही करे।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)RAS
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी